

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2012-13 निगरानी - R 532- ५६८।३

(१)

1. श्रीमती प्रेमबाई पति नन्दकिशोर, आयु-64 वर्ष धंधा-गृहकार्य, निवासी-ग्राम जयवंतपुराखेड़ा, उज्जैन
2. श्रीमती चंदूबाई पति जालमसिंह, धंधा-गृहकार्य, निवासी-ग्राम जयवंतपुराखेड़ा, उज्जैन
3. फूलसिंह उफ फुलू पिता जालमसिंह, धंधा-कृषि, निवासी-ग्राम जयवंतपुराखेड़ा, उज्जैन
4. दिलीपसिंह पिता जालमसिंह, आयु 35 वर्ष धंधा-कृषि, निवासी-ग्राम जयवंतपुराखेड़ा, उज्जैन
5. मनोजकुमार पिता नन्दकिशोर, आयु 45 वर्ष, धंधा-कृषि, निवासी-ग्राम जयवंतपुराखेड़ा, उज्जैन
6. संदीप आत्मज नन्दकिशोर, आयु 20 वर्ष,
7. बुलकुलकुमार आत्मज नन्दकिशोर, आयु 22 वर्ष
8. शक्तिकुमार पिता नन्दकिशोर, आयु 24 वर्ष, निवासीगण-ग्राम जयवंतपुराखेड़ा, उज्जैन

.....आवेदकगण

---विरुद्ध---

1. भैरूसिंह आत्मज् देवीसिंह,
2. विक्रमसिंह आत्मज् देवीसिंह,
3. करणसिंह आत्मज् देवीसिंह,
4. भगवानसिंह आत्मज् मोतीसिंह,
5. दशरथसिंह आत्मज् मोतीसिंह,
6. कमलसिंह आत्मज् मोतीसिंह, निवासीगण-ग्राम सुरजनवासा, तहसील व जिला उज्जैन
7. सायरबाई विधवा चन्द्रसिंह,
8. तेजकुंवरबाई पत्नि दिलीपसिंह निवासीगण ग्राम करोहन, तहसील व जिला उज्जैन
9. भंवरसिंह पिता भगवानसिंह निवासी-ग्राम सुरजनवासा, तहसील व जिला

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(15)

प्रकरण क्रमांक निगो 532-पीबीआर/13

जिला - उज्जैन

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों आदि के
हस्ताक्षर

4-10-14

प्रकरण का अवलोकन किया एवं अनावेदक क. 9 भंवरसिंह के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम एक सी.पी.सी. पर विचार किया । उक्त आवेदन पर आवेदक क. 1 लगायत 4 तथा अनावेदक क. 9 के हस्ताक्षर हैं जबकि प्रकरण में 8 आवेदक एवं 9 अनावेदक हैं । आवेदन के साथ लोक अदालत की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.13 की फोटो प्रति पेश की गई है जिसमें यह उल्लेख है कि " डिकीधारी भंवरसिंह ने व्यक्त किया कि आवेदन में उल्लिखित समझौते अनुरूप वह तहसील न्यायालय में कार्यवाही करेंगे । " दर्शित परिस्थिति में उभयपक्ष को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे लोक अदालत द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति तहसील न्यायालय में आवेदन के साथ प्रस्तुत करें जिस पर तहसीलदार द्वारा विधिवत निर्णय लिया जायेगा । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

प्रशांत सदस्य